न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/2024

जीसीएमएस नं. :– 2024/24

वादी

श्रवण पंवार पुत्र भेराराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :–

1. आसुलाल पुत्र भेराराम
2. गेरी पत्नि भेराराम
3. बुधाराम पुत्र भेराराम
4. राजूराम पुत्र भेराराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्ज तारीख :– 24.01.2024

उपस्थित :
श्री पृथ्वीराज चौहान अधिवक्ता वादी।
श्री उदयसिंह कच्छावाह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक : 27/1/25

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :– ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व प्रतिवादीगण व अन्य की सहखातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1 क्षेत्रफल 2. 0630 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 152 क्षेत्रफल 1.0193 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 18/1 क्षेत्रफल 2.5888 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 238 क्षेत्रफल 1.5695 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 252 क्षेत्रफल 3.1389 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नंबर 256 क्षेत्रफल 0.6957 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 4 क्षेत्रफल 3.8508 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 480 क्षेत्रफल 1.0760 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरें 08 कुल क्षेत्रफल 16. 0020 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 333 व पूराना 370 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सहीराम पुत्र भेराराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम श्रवण पंवार पुत्र भेराराम है। वादी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेस, परिवारकार्ड, पेनकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, विद्युत बिल, परिवारकार्ड, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र में वादी का सही नाम श्रवण पंवार पुत्र भेराराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुलवश सेवन से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

घरेलु बोलचाल का नाम सहीराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 18.01.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम सहीराम पुत्र भेराराम के स्थान पर श्रवण पंवार पुत्र भेराराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इंस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नबंर 1 क्षेत्रफल 2.0630 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 152 क्षेत्रफल 1.0193 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 18/1 क्षेत्रफल 2.5888 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 238 क्षेत्रफल 1.5695 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नवंबर 252 क्षेत्रफल 3.1389 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 256 क्षेत्रफल ०. 6957 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 4 क्षेत्रफल 3.8508 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 480 क्षेत्रफल 1.0760 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरें 08 कुल क्षेत्रफल 16.0020 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सहीराम पुत्र भेराराम के स्थान पर श्रवण पंवार पुत्र भेराराम घोषित किया जावे ।अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा मय जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रतिवादी संख्या एक से चार की ओर से जवाब निम्न प्रकार से है :– ग्राम कोसाणा पटवार क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादी व प्रतिवादीगण व अन्य की सहखातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1 क्षेत्रफल 2.0630 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 152 क्षेत्रफल 1.0193 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 18/1 क्षेत्रफल 2.5888 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 238 क्षेत्रफल 1.5695 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 252 क्षेत्रफल 3.1389 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 256 क्षेत्रफल 0.6957 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 4 क्षेत्रफल 3.8508 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 480 क्षेत्रफल 1.0760 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरें 08 कुल क्षेत्रफल 16.0020 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सहीराम पुत्र भेराराम अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम श्रवण पंवार पुत्र भेराराम है। वादी के आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेस, परिवारकार्ड, पेनकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, विद्युत बिल, परिवारकार्ड, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र में वादी का सही नाम श्रवण पंवार पुत्र भेराराम अंकित है। सहीराम व श्रवण पंवार दोनो नाम के एक ही व्यक्ति हमारें भाई / पुत्र है अन्य कोई व्यक्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर

इस्तदुआ वादी है जो सही है। वादी श्रवण पंवार का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमें आपत्ति नही है। उक्त भूमि के रेकर्ड में सहीराम के स्थान पर श्रवण पंवार किया जावे जिस हेतु हमे आपत्ति नही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र माफिक इस्तदुआ स्वीकार फरमाया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 से 4 को कोई आपति नही हैं।

इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम कोसाणा के खसरा नम्बर 1, 152, 18/1, 238, 252, 256, 4, 480, कुल रकबा 16.0020 हैक्टयर भूमि में वादी के वाद, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेजो के आधार पर सहीराम पुत्र भेराराम दर्ज हैं। दर्ज नाम सहीराम व श्रवण पंवार दोनो एक ही व्यक्ति होने से सहीराम के स्थान पर श्रवण पंवार किये जाने की अनुशंषा की हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी। जिसमें वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम कोसाणा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1, 152, 18/1, 238, 252, 256, 4, 480, कुल रकबा 16.0020 हैक्टयर भूमि में दर्ज नाम सहीराम पुत्र भेराराम के स्थान पर श्रवण पंवार पुत्र भेराराम किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने इस सम्बन्ध में अनापति जाहिर की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, संगत विधिक प्रावधानों पर गौर कर बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कोसाणा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1, 152, 18/1, 238, 252, 256, 4, 480, कुल रकबा 16.0020 हैक्टयर भूमि में दर्ज नाम वर्तमान रेकर्ड अनुसार सहीराम पुत्र भेराराम के स्थान पर श्रवण पंवार पुत्र भेराराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 27·01·25 को सर-ए-इजलास में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर